<u>दिनांक 20 अगस्त, 2014 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-2 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय ।</u>

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1
संख्या-1065/79-वि-1-14-2(क)14/2014
लखनऊ दिनांक: 20 अगस्त, 2014

अधिसूचना
विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन 2014) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

एम0बी0 सिंह
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-1065(1)/79-वि-14-0(क)14/2014, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 मुख्यमत्री, उत्तर प्रदेश।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, आयुष अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
6- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
8- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश।
9- संसदीय कार्य अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10- भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11- विधायी अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(बादाम सिंह)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

http://sidsanadesh.upnic.in

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 2014

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या- 10 सन्-2014)

(भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है:-

संक्षिप्त नाम

1- यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 1952 की धारा 10 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-10 में-

(क) उप-धारा-(1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि बोर्ड, इस उप-धारा के अधीन सदस्यों को हटाने के पूर्व उनका स्पष्टीकरण मांगेगा और उस पर अपना निर्णय अभिलिखत करेगा।"

(ख) उप-धारा-(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जायेगी, अर्थात:-

"(2)उप-धारा-(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या धारा-4 और 5 के अधीन नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य, ऐसी नोटिस दिये जाने के पश्चात् जो विहित की जाय, राज्य सरकार द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा।"

धारा 11 का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा-11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:-

"11-धारा-10 के अधीन बोर्ड द्वारा हटाया गया कोई सदस्य अपने हटाये जाने के दिनांक से 90 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और किसी ऐसी अपील में राज्य सरकार का आदेश अन्तिम होगा।"

राम नाईक
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

http://bhasanidesh.up.nic.in

<u>TO BE PUBLISHED IN PART-II (a) OF THE LEGISLATIVE SUPPLEMENT OF THE U.P GAZETTE EXTRAORDINARY, DATED AUGST 20, 2014 POSITIVELY</u>

UTTAR PRADESH SHASAN
VIDHAYI ANUBHAG-1
No.1065(2)/79-V-1-14-2(Ka)14/2014
Lucknow: Dated: August 20, 2014

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 10 of 2014) promulgated by the Governor:-

(Here print the annexed)

By order,

S.B. Singh,
Pramukh Sachiv.

<u>No.1065(3)79-V-1-14-2(ka)14/2014 of date</u>

Copy forwarded for information and necessary action to,-

1- Mukhya Mantri, Uttar Pradesh.
2- Mukhya Sachiv, Uttar Pradesh Shasan.
3- Pramukh Sachiv, Ayush Anubhag-2, Uttar Pradesh Shasan.
4- Pramukh Sachiv, Vidhan Sabha, Uttar Pradesh .
5- Pramukh Sachiv, Vidhan Parishad, Uttar Pradesh.
6- Soochana Nideshak, Uttar Pradesh.
7- Pramukh Sachiv, Rajyapal, Uttar Pradesh.
8- Vidhi Paramarshi Pustakalaya, Uttar Pradesh.
9- Sansadiya Karya Anubhag-1
10- Bhasha Anubhag-5, Uttar Pradesh Sachivalaya.
11- Vidhayi Anubhag-2 Uttar Pradesh Sachivalaya.

By order,

(Badam Singh)Vishesh
Sachiv Evam Upper Vidhi
Paramarshi.

http://shasanadesh.up.nic.in

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

(U.P. ORDINANCE No.10 Of 2014)

[Promulgated by the Governor in the sixty fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act 1951

' WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.'

' NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause(1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is please to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Ordinance, 2014.

Amendment of section 10 of U.P Act no 8 of 1952

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Homeopathic Medicine Act, 1951 hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in sub section (1) the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

" Provided that before removing the members under this sub-section, the Board shall call for his/her explaination and record its findings thereon."

(b) for sub-section (2) the following sub-section shall be substitued, namely:-

" (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the Chairman or any member nominated under sections 4 and 5 may be removed from his/her office by the State Government after giving him/her such notice as may be prescribed."

Amendment of section 11

3 For Section-11 of the principal Act the following section shall be substituted, namly:-

" 11-Any member removed by the Board under section 10 may within ninety days from the date of his/her removal, prefer an appeal to the State Government and the order of the State Government in any such appeal shall be final."

Ram Naik
Governor,
Uttar Pradesh

http://shasanadesh.up.nic.in